न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0 के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 390/एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-01-2011 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 107/2009-10 अपील

पंकज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह चौहान
निवासी रौन, तहसील रौन
जिला भिण्ड , मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

रामविहारी पुत्र छोटे जाति बढ़ई
ग्राम बिरखड़ीतहसील रौन
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 17 -11 -2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 107/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-01-11 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रामविहारी पुत्र छोटे बढ़ई निवासी ग्राम विरखड़ी ने तहसीलदार रौन के समक्ष आवेदन देकर मौजा विरखड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1123, 1112, 1256, 1261 कुल किता 4 कुल रकबा 2.830 है. में से रकबा 0.520 है. के सम्बन्ध में आवेदन देकर मांग रखी कि इस भूमि पर उसका कब्जा है एंव किन्तु इस भूमि पर जगदीश पुत्र गरीवे का गलत नाम दर्ज चला आ रहा है क्योंकि संबत2048 के जुलाई महिने में जगदीश के पिता गरीवे ने उसे समुचित नजराना लेकर मौखिक पटटे पर जमीन जुतवा दी थी

इसलिये संहिता की धारा 169, 185, 190 के अंतर्गत मौरूषी कृषक होने से नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार रौन ने प्रकरण क्रमांक 1287/06-07 बी 121 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 25-6-2007 पारित करके खसरे के खाना नंबर 12 में रामविहारी का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 1084/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-10-07 से तहसीलदार रौन का आदेश निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 107/ 2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2011 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार रौन ने प्रकरण क्रमांक 1287/06-07 बी 121 के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि उन्होंने आवेदक की मांग पर आदेश दिनांक 25-6-2007 से मौजा विरखड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1123, 1112, 1256, 1261 कुल किता 4 कुल रकबा 2.830 है. में से रकबा 0.520 है. पर कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये है। विचार योग्य बिन्दु है कि क्या किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा दर्ज किया जा सकता है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 250 - यदि किसी भूमिस्वामी की भूमि अन्य का बेजा कब्जा है, तब बेजा

कब्जेदार को इस धारा के अधीन राजस्व अधिकारी व्दारा बेदखल किया जावेगा।

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 115 सहपठित 116 - किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य पक्ष का खसरे में आधिपत्य दर्ज नहीं किया जा सकता, अपितु त्रृटिपूर्ण हुई प्रविष्टि को शुद्ध किया जा सकता है।
3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 115, 116 सहपठित 110 - उप कृषक/मौरूषी कास्तकार का नाम संहिता की धारा 110 के अधीन विचारित होगा -धारा 115, 117 के अधीन कब्जे के सम्बन्ध में नवीन प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान नहीं है।

स्पष्ट है कि तहसीलदार रौन व्दारा वाद विचारित भूमि आवेदक के नाम की कराई गई कब्जा प्रविष्टि अधिकारविहीन होने से अनुविभागीय अधिकारी लहार ने आदेश दिनांक 25-10-2007 से निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 107/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-01-11 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचाराधीन निगरानी निरस्त की जाती है एंव प्रकरण क्रमांक 107/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-01-11 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर